न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 161/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00027)

1. बलराम
2. लिछमण

पुत्रगण मनफूल पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी 34 एनडीआर तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कालूराम
2. रजीराम
3. बृजलाल

पुत्रगण हुकमाराम

4. बलवन्ती पत्नी भागीरथ
5. मदनलाल
6. नौरंगलाल
7. लिछमा

पिसरान भागीरथ पुत्र हुक्माराम

जाति जाट निवासी 34 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

8. सीमा
9. गुड्डी
10. गोगा
11. रूकमा
12. भानी

पुत्रिया मनफूल पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी 34 एनडीआर तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ।

13. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
14. एक्सिस बैक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक, पीलीबंगा।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री हरिराम विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4, 6, 7
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 05–04–2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 01.08.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 ने अधीनस्थ अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में चक 34 एनडीआर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 72 दिनांक 15.12.2003 के विरूद्ध अपील पेश उसे निरस्त करने तथा इस इन्तकाल के आधार पर की गई पश्चात्वर्ती तमाम प्रविष्टियों को

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.08.2016 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 72 दिनांक 15.12.2003 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर विस्तृत जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि चक 34 एन.डी.आर तहसील पीलीबंगा मे 134.06 बीधा भूमि, चक 38 एन.डी.आर में 27.19 बीधा भूमि, व चक 36 एन.डी.आर में 14 बीधा भूमि कुल तीन चको में 176.05 बीधा कृषि भूमि स्थित थी जो ऐमाराम, हुक्माराम व नानूराम पुत्रगण शेराराम जाट की शामियात खातेदारी 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा रही । उक्त भूमि का बटवारा के लिए मृतक ऐमाराम के वारिस मंगलू व गोपाल ने दिनांक 22.10.1996 का वाद पत्र प्रस्तुत किया। सहमती से बटवारा हो गया। उक्त वाद सं. 400/99 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2002 की पारित की गई जिसकी अनुपालना में दिनांक 15.12.2003 को तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 द्वारा इन्तकाल सं. 72 दिनांक 15.12.2003 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष बाद मियाद बाहर अपील पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर कोई फाईडिग नही दी, जबकि मियाद बाहर अपील को सर्वप्रथम मियाद पर निर्णय करने के बाद मेरिट पर निर्णय किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मियाद तय किये सीधे अपील को रिमाण्ड कर दिया जो कानून सम्मत न होने व विधि के मूल सिद्वान्त के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

अति.संभागीय आयुक्त

दिनांक 01.08.2016 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार पीलीबंगा का इन्तकाल सं. 72 दिनांक 15.12.2003 यथावत रखा जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2013 (1) पेज 125, RRT 2009 (2) पेज 1309, RRT 2013 (1) पेज 444 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4, 6, 7 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता मनफूल ने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की चक 34 एनडीआर मे आराजी भूमि का विक्रय कर दिया था, उसके हिस्से में उस चक की कोई शेष भूमि नही रही। इसके अलावा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्याायालय में मियाद के बिन्दु पर कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया, इस न्यायालय में अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर प्रश्न नही उठा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल सं. 72 दिनांक 15.12.2003 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर विस्तृत जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने का जो निर्देश दिया है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट का यह कथन कि प्रथम अपील मियाद बाहर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने निर्णय पारित किया गया। के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 72 दिनांक 15.12.2003 पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री के अनुसरण में दर्ज किया गया नामान्तकरण निर्णय व डिक्री के अनुरूप किया जाना प्रथम दृष्टया नही पाया गया। सहायक कलक्टर पीलीबंगा के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विपरित नामान्तकरण होने तथा मियाद अधिनियम की धारा –5 के प्रार्थना पत्र के विरूद्व कोई खण्डन नही होने के कारण मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से स्वतः ही स्पस्ट है की अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए ही निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नही

अति. संभागीय आयुक्त
चाकसू

है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2016 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर